न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—392/2016/223 (2016/00392)

1. बालकराम दत्तक पुत्र नन्दराम औझा, जाति ब्राहमण, नि0 कनेछनकंला, तह0 फूलियांकला, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती गीता पाण्डे पत्नि नन्दराम, जाति ब्राहमण, निवासी आगुचा, तह0 हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. चांदमल पुत्र श्रीकिशन, जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम सांकरिया, उप—तहसील कादेड़ा, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

4. प्रहलाद पुत्र श्रीकिशन, जाति ब्राहमण, नि0 सांकरिया, उप—तह0 कादेड़ा, जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 24.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 4143/2016.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 17.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया/रेस्पो0 संख्या ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत ग्राम सांकरिया, तह0 केकड़ी की वादपत्र में वर्णित खसरा नंबर बाबत् विरूद्ध अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीया/रेस्पो0 संख्या 1 के पति नंदराम की आराजी है । मेरे पति नंदराम की मृत्यु हो चुकी है व मैने अपीलांट को कभी गोद नहीं लिया है व आराजी मुतनाजा गलत तौर पर अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है इसलिये अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड से हजब किया जाकर वादिया का वाद डिक्री किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.5.2016 द्वारा वादिया का वाद डिक्री कर वादिया को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी

संख्या 2 व 3 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपील में वर्णित विवादित आराजी का अपीलांट रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 30.6.2002 से जमाबंदी संवत् 2068 से 2072 में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज चला आ रहा है । इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना कैम्प कोर्ट के नोटिस दिये व बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये गैर कानूनी रूप से एकतरफा तौर पर वादिया का वाद डिक्री कर अपीलांट की खातेदारी आराजियात से महरूम करने का निर्णय पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को भी नजरअंदाज किया कि विपक्षी चांदमल को वाद डिक्री करवाने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वादिया के वाद में मूल विपक्षी तो अपीलांट था जो कि वादिया द्वारा पेश वादपत्र के पैरा संख्या 3 की प्रार्थना से स्पष्ट है कि वादिया ने प्रतिवादी/अपीलांट बालकराम के हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा चाही थी तो चांदमल जो कि वाद में प्रफोर्मा पक्षकार होने से चांदमल को कोई अधिकार नहीं था कि वादिया से मिलीभगती कर अपीलांट की खातेदारी को समाप्त करवा दे । बहस में आगे कथन किया कि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणो ंका निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार सहमत हो परन्तु अपीलांट द्वारा उपरोक्त प्रकरण में ऐसी कोई सहमति नहीं दी थी, न ही सहमति स्वरूप पत्रावली पर कोई हस्ताक्षर ही है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलंट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधि0 का जिला न्यायाधीश, भीलवाड़ा के समक्ष नंदराम की भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी की राशि को प्राप्त करने के लिये गोदपुत्र की हैसियत से पेश किया था जिसे मान0 जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलांट को नंदराम का गोदपुत्र मानते हुए नंदाराम की पॉलिसी का पैसा अपीलांट को प्रदान करने का आदेश दिनांक 28.7.2009 को पारित किया था जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट नंदराम का गोदपुत्र होकर विवादित आराजियात में अपीलांट का हक व हिस्सा है । अधी0न्याया0 के समक्ष चांदमल द्वारा तथाकथित राजीनामा पेश किया गया था उसमें सिर्फ चांदमल के हस्ताक्षर थे । उक्त राजीनामे पर अपीलांट के कोई हस्ताक्षर नहीं थे ऐसी स्थिति में चांदमल को न तो किसी प्रकार से अपीलांट के 1/3 हिस्से बाबत् राजीनामा करने का अधिकार ही था । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअदांज किया कि गीतादेवी ने नंदराम के जीवनकाल में ही उनसे तलाक लेकर परित्यक्ता नारी की हैसियत से शिक्षिका/अध्यापिका की नौकरी प्राप्त कर ली थी तथा वह तलाक के पूर्व से ही अपने गांव आगूचा में निवास

कर रही है जिसकी पुष्टि आगूचा की निर्वाचन नामावली, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजों से होती है जिसमें गीतादेवी ने अपने नाम के साथ अपने पिता गौरी शंकर पांडे का नाम अंकित करवा रखा है । अधी0न्याया0 ने अतिसंक्षिप्त निर्णय पारित किया है जो आदेश 41 नियम 2–ए के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्राथना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने बिना अपीलांट को नोटिस दिये व साक्ष्य, सुनवाई का अवसर दिय गैर कानूनी निर्णय व डिक्री पारित की है जिसकी प्रार्थी/अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी । दिनांक 6.9.2016 को प्रार्थी केकड़ी आकर अपने वकील साहब से संपर्क किया तत्पश्चात् कोर्ट में जाकर कोर्ट पत्रावली को रीडर से निकलवाकर अवलोकन करने पर ज्ञान हुआ कि दिनांक 24.5.2016 को ही एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई है तत्पश्चात् प्रार्थी ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन किया, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अपीलांट ने अजमेर आकर वकील से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1/वादिया के पति, प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की पैतृक आराजी है, जिसमें 1/3 हिस्सा वादिया के पति का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का है । रेस्पो0 संख्या 1 के पति नंदराम का स्वर्गवास हो चुका है । वादिया एवं उसके पति नंदराम ने कभी भी अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 को गोद नहीं लिया तथा न ही इस संबंध में कभी कोई दस्तावेज ही तहरीर करवाया है । रेस्पो0 संख्या 1 ही उसके पति नंदराम की एकमात्र वारिस है किन्तु राजस्व अधिकारियों ने सहवन से वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है । अपीलांट नंदराम का दत्तक पुत्र नही है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर विधिसम्मत् रूप से वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि अपीलांट मृतक खातेदार नंदराम का दत्तक पुत्र होकर विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे अधी0न्यायालय ने साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 गीतादेवी ने नंदराम के जीवनकाल में ही उनसे तलाक लेकर परित्यक्ता की हैसियत से शिक्षिका की नौकरी प्राप्त कर ली थी तथा तलाक से पूर्व से ही वह अपने गांव आगूचा में निवास कर रही थी तथा ग्राम आगूचा के समस्त रिकार्ड यथा निर्वाचन नामावली, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में श्रीमती गीतादेवी के पति के स्थान पर उसके पिता श्री गौर शंकर पाण्डे का नाम अंकित है ।

इस प्रकार वादिया मृतक खातेदार की पत्नि नहीं होने से उसे मृतक खातेदार की आराजियात में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । यह भी कथन किया कि चांदमल को अपीलांट की आराजी बाबत् राजीनामा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । इसके विपरीत वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट को उसके पति अथवा उसके स्वंय के द्वारा कभी भी गोद नहीं लिया गया था। विवादित आराजियात सहवन से अपीलांट के नाम जरिये नामांतकरण दर्ज हो गई थी । रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात अपीलांट के नाम दर्ज थी जिसे साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । हम विद्वान वकील अपीलांट के इस कथन से भी सहमत है कि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणो ंका निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार सहमत हो । अपीलांट द्वारा उपरोक्त प्रकरण में ऐसी कोई सहमति नहीं दी थी, न ही सहमति स्वरूप पत्रावली पर कोई हस्ताक्षर ही है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत गोदनामा सही है अथवा अवैध इसका निर्णय तो वाद में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर बाद सुनवाई ही किया जाना चाहिये था । अपीलांट जरिये रजिस्टर्ड गोद पुत्र होकर जमाबंदी संवत् 2068 से 2072 में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसे बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.5.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 17.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर